

दि आर बी एस जन कल्याण सोसाइटी

बचत ही जीवन का आधार है।
"आपकी बचत–आपके परिवार का सहारा"

नोट : सोसाइटी की सदस्यता चालू हो चुकी है, अपना खाता खोलने के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आकर्षक छूट का लाभ उठाएँ, पहले आने वाले दो सौ सदस्य को अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा केवल पाँच सौ (500) रूपये देकर अपनी सदस्यता ले सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें ।

7982176696, 8800201801

कार्यालय : E-167, Gali No. 70, Mahavir Enclave Part-III, New Delhi: 110059

सोसाइटी की सदस्यता हेतु आवश्यक जानकारियाँ :

1. जिसका स्थाई निवास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हो ।
2. जिसके पास आधार और आवासीय प्रमाण हो, जो स्थाई रूप से दिल्ली में कार्यरत हो और किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य न हो ।
3. जिसका किसी प्रकार का आपराधिक रिकार्ड ना हो और ना ही कोई दिवालिया होने का प्रमाण हो ।
4. ~~X जो किसी दो सोसाइटी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हो जिनकी पहचान की स्वीकृति हस्ताक्षर द्वारा उनके आवेदन में सत्यापित हो । X~~
5. पहले आने वाले दो सौ (200) सदस्यों को अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा केवल पाँच सौ (500/–) रूपये देकर अपनी सदस्यता ले सकते हैं ।
6. मासिक अनिवार्य जमा हर माह 500 प्रति सदस्य देय होगा । प्रतिमाह पासबुक साथ अवश्य लायें अन्यथा किसी भी भूल के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगें । पासबुक खो जाने पर नई पासबुक के लिए 100 रूपये कैश देने होंगें ।
7. सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को हर महीने की 10 तारीख तक 500/– जमा करना अनिवार्य है। 10 तारीख के बाद जमा करने वाले सदस्य को प्रतिदिन 10 रूपये के हिसाब से बिलम्ब शुल्क देय होगा।
8. कोई भी सदस्य बीच में खाता बंद करना चाहे तो सदस्यता समापन शुल्क कम से कम 200 रूपये चार्ज किया जाएगा ।
9. दीपावली उपहार लेने के पश्चात 31 मार्च तक सदस्य रहना अनिवार्य है, अन्यथा उपहार की रकम काट ली जाएगी ।
10. कार्यकारिणी आम सभा बुलाकर कभी भी नियम व् शर्तों में आम सहमति से बदलाव कर सकती है प्रबंधन समिति किसी भी समय बिना सूचित किये ब्याज दर में बदलाव कर सकती है । कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी समिति के सभी सदस्य को सर्वमान्य होगा।

सोसायटी से ऋण प्राप्त करने के लिए नियम एवं शर्तें

1. जिस सदस्य को सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त किये हुए 180 दिन हो गए हैं वही सदस्य कार्यालय से ऋण का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं । ऋण लेने पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा । ऋण अदायगी किस्त, महीनों की आसान किस्तों के साथ जमा करें ।
2. सोसाइटी द्वारा 01 तारीख से 31 तारीख तक दिए गए ऋण पर पूरे माह का ब्याज लिया जाएगा ।
3. ऋण लेने के लिए किन्ही तीन सदस्यों की जमानत और तीन चेक सोसाइटी के नाम से जमा करवाने अनिवार्य है ।
4. ऋण लेने का प्रार्थना पत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । कृपया आवेदन 25 तारीख तक ही स्वीकार किया जाएगा । यदि तत्काल लोन चाहिए तो अवसर मिलेगा ।
5. ऋण धारी सदस्य जब तक पुराना ऋण पूरा जमा नहीं करेगा तब तक उसको ऋण दुबारा पास नहीं किया जायेगा ।
6. ऋण फार्म में जमानतियों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं तथा वे ही सदस्य ऋण लेने वाले सदस्य को जमानत दे सकते हैं जिनकी जमानत सोसाइटी शेष हो, जो डिफाल्टर खुद ना हो तथा उनके द्वारा दी गई जमानत की रकम बकाया ना हो वही जमानती कार्यालय में आकर किसी भी पदाधिकारी द्वारा अथवा कर्मचारियों के सामने अपने जमानत का हस्ताक्षर करें । याद रहे जमानती हस्ताक्षर करने का मतलब है की यदि ऋणी द्वारा भुगतान नहीं हो रहा तो जमानती ही शेष ऋण की रकम का भुगतान करेंगे । (सदस्य द्वारा ऋण न लौटाये जाने पर जमानती पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा) ।
7. आवेदित सदस्यों को जमानत देने वाले जमानती अपने निवास प्रमाण की प्रतिलिपि के साथ सोसाइटी कार्यालय में आकर ऋण फार्म पर हस्ताक्षर करें । (जमानत देने वाले के पास दिल्ली में अपना मकान होना चाहिये उसकी **KYC** के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा) ।
8. प्रत्येक सामान्य ऋण प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत ऋण का 1% लोन प्रोसेसिंग फीस काटी जाती है जो वापस नहीं कि जाती है एवं उसे सदस्यों के कल्याणार्थ खर्च किया जाता है ।
9. ऋण फार्म पर अपनी फोटो सहित सारी प्रक्रिया और प्रपत्र के साथ सोसाइटी कार्यालय में जमा करें । सदस्यों की आवेदन सुचना को सत्यापन पश्चात कार्यकारिणी समिति मासिक नियमित बैठक में स्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा । जिसकी सूचना फोन द्वारा आवेदित ऋणी को दी जायेगी ।